

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1592  
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

राष्ट्रीय मॅटरिंग मिशन

†1592. श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में राष्ट्रीय मॅटरिंग मिशन (एनएमएम) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार कुल कितने परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं;
- (ख) आन्ध्र प्रदेश के लिए वर्ष और जिला-वार कितने शिक्षकों को मॅटर बनाया गया है;
- (ग) उक्त मिशन के अंतर्गत मॅटर की चयन प्रक्रिया, योग्यताओं, आवश्यकताओं और प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;
- (घ) मूलभूत साक्षरता, समावेशी शिक्षा और डिजिटल अधिगम जैसे तरीकों, बारंबारता और शैक्षणिक फोकस क्षेत्रों सहित मॅटरिंग के लिए अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) क्या सरकार द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता और अधिगम परिणामों पर मिशन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई मूल्यांकन या फीडबैक लिया गया है; और
- (च) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश में इसके कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): एनसीटीई ने राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) के तहत पूरे देश में कुल 3,032 परामर्शदाताओं को शामिल किया है। आंध्र प्रदेश के लिए परामर्श दिए गए परामर्शदाताओं और शिक्षकों की संख्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार पूरी जानकारी अनुलग्नक में दी गई है, जो [https://www.education.gov.in/parl\\_ques](https://www.education.gov.in/parl_ques) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय परामर्श मिशन के तहत परामर्शदाताओं को एनसीटीई द्वारा एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, जो पेशेवर दक्षता, परामर्श अभिरूचि और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के साथ तालमेल की जांच करता है। कोई भी बेहतरीन पेशेवर (सेवानिवृत्त या सेवारत) जिसके पास अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में कम से कम आठ वर्ष

का अनुभव हो, जिसमें प्रोफेसर, प्रिंसिपल और अन्य पेशेवर शामिल हैं, उन्हें परामर्शदाता के तौर पर शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है। परामर्शदाताओं को एनसीटीई वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र के ज़रिए अपने आवेदन जमा करने होते हैं और उन्हें अभिविन्यास और क्षमता -निर्माण में सहयोग दिया जाता है।

राष्ट्रीय परामर्श मिशन के तहत परामर्श कार्यप्रणाली प्रौद्योगिकी-सक्षम, आवश्यकता -आधारित सहयोग का उपयोग करती है, जिसमें एक विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, अर्थात् यूनिफाइड मॉडरिंग इंटरफ़ेस (यूएमआई) के माध्यम से व्यक्तिगत और गुप मॉडरिंग को जोड़ा जाता है। मॉडरिंग में एनईपी, 2020 के अनुसार 30 कार्यक्षेत्र और 41 उप-कार्यक्षेत्र शामिल हैं, जिसमें शैक्षणिक सामग्री ज्ञान, मूलभूत साक्षरता, समावेशी शिक्षा और डिजिटल शिक्षा शामिल हैं, और यह शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहायता करने के लिए निरंतर आधार पर की जाती है।

(ड) और (च): यूनिफाइड मॉडरिंग इंटरफ़ेस (यूएमआई) में एक इन-बिल्ट फीडबैक प्रणाली है। आकलन और मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता और अधिगम परिणाम को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में संरचनागत सुधार करना है।

\*\*\*\*\*